

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / **2617**

दिनांक :- **19-12-2018**

आदेश संख्या : 267/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिको को **हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), पुरानी जिला परिषद के पीछे, नयापुरा, कोटा-324001** में दिनांक 17/12/2018 से 08/02/2019 तक आयोजित होने वाले **कनिष्ठ लेखाकार** पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 17/12/2018 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र.स. (1)	कनिष्ठ लेखाकार का नाम - [लिंक नंबर] पिता का नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष (2)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (3)
1	बत्ती लाल बैरवा - [11301] भागीरथ बैरवा, 02/07/1993, 2486/2013	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), बकानी, झालावाड़
2	दिलीप कुमार गोयल - [12764] कैलाश चंद गोयल, 12/07/1988, 402/2013	प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, सवाई माधोपुर
3	काना राम जाट - [10495] कैलाश जाट, 06/07/1993, 552/2013	अधिकाधिकारी अभियंता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, फागी, जयपुर
4	लोकेश कुमार चौधरी - [10449] रामेश्वर प्रसाद चौधरी, 09/04/1993, 252/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टोंक
5	मनीष शर्मा - [11141] महेश शर्मा, 14/09/1989, 68/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, मलारना इंगर, सवाई माधोपुर
6	राधेश्याम सैनी - [10295] हरगोविंद सैनी, 12/12/1987, 274/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टोंक
7	सीमा मीणा - [11251] धरम सिंह मीणा, 13/11/1994, 2376/2013	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गंगापुरसिटी, सवाई माधोपुर
8	तारा तेहरिया - [11210] द्वारिका प्रसाद शर्मा, 22/08/1990, 1520/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, सवाईमाधोपुर
9	दिलखुश मीणा - [11331] रामधन मीणा 07/07/1989, 2670/2013	तहसीलदार राजस्व विभाग, चौथ का बरवाडा सवाईमाधोपुर।
10	अम्बरीश कुमार सोलंकी- [12963] खूबचन्द सोलंकी, 24/09/1987, 3178/2013	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) धौलपुर

11	मनराज मीणा - [12937] हंसराज मीणा, 05/06/1985, 2045/2013	प्रोजेक्ट मैनेजर, राज. अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.निगम, झालावाड।
12	धीरज जांगिड- [10773] कैलाश चंद जांगिड, 16/04/1991, 997/2013	उपकोषाधिकारी (स्वतंत्र) कामा, भरतपुर।
13	आरती अग्रवाल- [10300] राधे लाल अग्रवाल, 06/08/1991, 389/2013	कोषाधिकारी भरतपुर।
14	अरविन्द्र कुमार बंसल- [12831] हरिश कुमार, 23/07/1978, 89/2013	उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग, भरतपुर।
15	अजीत कुमार शर्मा- [9950] गोविन्द सिंह, 02/01/1989, 300/2013	तहसीलदार राजस्व विभाग डीग, भरतपुर।
16	रविकान्त उपाध्याय - [12804] जगदीश चंद उपाध्याय, 08/09/1989, 3070/2013	चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छीपाबडोद, बारा।
17	मेघा गोयल- [10455] मुकेश गोयल, 26/07/1986, 567/2013	उपकोषाधिकारी (स्वतंत्र) देवली, टोंक।
18	गुलाब सिंह रछोया- [11158] मानसिंह रछोया, 10/01/1990, 2086/2013	उपकोषाधिकारी (स्वतंत्र) कुम्हेर, भरतपुर।
19	गुरु चरण सिंह- [11258] राजेन्द्र सिंह, 16/11/1991, 2115/2013	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भरतपुर।
20	किशन लाल मीणा- [11507] प्रभुलाल मीणा, 05/12/1993, 2498/2013	इंचार्ज पी.वी. पार्टी निरीक्षण विभाग, बून्दी।
21	प्रिया जैन- [11492] नरेश कुमार जैन, 21/01/1994, 1724/2013	उपकोषाधिकारी (स्वतंत्र) हिन्डोली, बून्दी।
22	सुरेश कुमार - [11490] मागीलाल, 04/05/1992, 1706/2013	तहसीलदार राजस्व विभाग, केशोरायपाटन, बून्दी।

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

(मुकुन्द सोहीनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2617

दिनांक :- 19-12-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- . महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), पुरानी जिला परिषद के पीछे, नयापुरा, कोटा-324001 को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
- . विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
-को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
- . सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथि/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- . अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- . उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
- . रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)